अमर उजाला

नई दिल्ली | बुधवार, 9 जनवरी 2019

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

आज की नीतियां और राजनीतिक गतिविधियां लोगों को मोहरा बना रही हैं...

-रुडोल्फ स्टेनर

ऑस्ट्रियाई दार्शनिक

सीबीआई निदेशक के रूप में उन्हें बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी व्यक्ति की जीत के बजाए सांस्थानिक स्वायत्तता के आलोक में देखा जाना चाहिए।

वर्मा की बहाली

सीबीआई निदेशक के रूप में आलोक वर्मा की बहाली से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी की स्वायत्तता स्थापित हुई है, जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि राज्य (सरकार) और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें पद से नहीं हटा सकते। हालांकि फैसले में यह भी कहा गया है कि वर्मा तब तक नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे, जब तक कि उच्च स्तरीय चयन समिति उनके बारे में कोई फैसला न कर ले। दरअसल वर्मा ने 23 अक्तूबर की रात उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए लंबी छुट्टी पर भेजने के कदम को अदालत में इस आधार पर चुनौती दी थी, कि उन्हें प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वाली उच्च स्तरीय समिति की पूर्व अनुमति के बिना जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का झगड़ा जब सीबीआई मुख्यालय से निकलकर सार्वजनिक हो गया था, तब सरकार ने अचानक वर्मा और अस्थाना दोनों को न केवल छुट्टी पर भेज दिया था, बल्कि एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक तक नियुक्त कर दिया था। मगर इस फैसले से नागेश्वर राव की नियुक्ति भी निरस्त हो गई है। सरकार की ओर से भले ही अब यह कहा जा रहा है कि सीवीसी की सिफारिश के आधार पर सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया था, लेकिन इस फैसले से उसकी किरकिरी हुई है। भूलना नहीं चाहिए कि सर्वोच्च अदालत अतीत में सीबीआई की स्वायत्तता का सवाल उठाते हुए उसे 'पिंजरे का तोता' तक करार चुकी है। वर्मा की बहाली उन्हें कोई रियायत नहीं है, बल्कि उनके पास तो कोई अधिकार भी नहीं होगा। उनका दो वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है, और उनके भविष्य का फैसला उच्च स्तरीय समिति के हाथ में है, जिसे एक हफ्ते के दौरान अपना निर्णय लेना है। यानी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, उनकी जांच का रास्ता खुला हुआ है। इस दूरगामी फैसले को किसी व्यक्ति की जीत के बजाय सीबीआई की सांस्थानिक स्वायत्तता के आलोक में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसी से केंद्रीय जांच एजेंसी की साख भी जुड़ी है।

डिजिटल इंडिया में मंडल-2

प्रस्तावित आरक्षण का लाभ सिर्फ सवर्णों को नहीं, बल्कि सभी धर्मों के गरीबों को मिलेगा। पर इसके बाद देश की पांच फीसदी अनारक्षित आबादी प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के लिए विदेश पलायन को बाध्य होगी।

विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील

भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को परंपरागत तौर पर शोषण और भेदभाव का शिकार होना पड़ा, जिन्हें संविधान के तहत आरक्षण और विशेष संरक्षण की सुविधा दी गई। वी. पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा दी। और अब सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए सरकार ने 124वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया है। संविधान के अध्याय-3 में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद-15 में धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव की मनाही है। अनुच्छेद-16 में यह प्रावधान है कि सरकारी रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद-15 (6) और 16 (6) के नए प्रावधानों में बदलाव करके सरकार गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की योजना ला रही है। इन संशोधनों के बाद आर्थिक पिछड़ेपन को भी आरक्षण के लिए कानूनी मान्यता मिल जाएगी। संविधान संशोधन के बावजूद इसके लिए चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले प्रशासनिक आदेश या ओएम जारी करने की चुनौती भी सरकार के सामने रहेगी। नए प्रावधानों को संविधान की अनुसूची-9 में शामिल करने के लिए यदि सरकार द्वारा संशोधन किए गए, तभी न्यायिक हस्तक्षेप से बचाव हो सकता है। प्रस्तावित संशोधन संविधान की आत्मा और बुनियादी ढांचे पर कुठाराघात हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द भी किया जा सकता है।

प्रस्तावित आरक्षण का लाभ सिर्फ सवर्णों को नहीं, बल्कि सभी धर्मों के कथित गरीबों को मिलेगा। गांव में 80 फीसदी आबादी के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है और आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश की 95 फीसदी आबादी की आमदनी आठ लाख रुपये सालाना से कम है। संविधान में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव की मनाही है, पर अब अधिकांश आबादी जाति और आय प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए तहसीलदार कार्यालय के चक्कर लगाएगी। देश में 11 करोड़ से अधिक युवा मनरेगा मजदूरी के लिए पंजीकृत हैं, परंतु शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के संकट में आने से खेतिहर युवाओं में रोजगार का संकट है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार के संकट बढ़े हैं। डिजिटल भारत में इंटरनेट कंपनियों के मजे हैं, पर भारतीय उद्यम दम तोड़ रहे हैं। स्वदेशी, ग्रामस्वराज और घरेलू उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के बजाय सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लॉलीपाप से सामाजिक नक्सलवाद बढ़ने के खतरे हैं।

नरसिंह राव सरकार ने मंडल की लपटों को शांत करने के लिए 1991 में आर्थिक आधार पर आरक्षण की भी पहल की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी के फैसले से निरस्त कर दिया था। फिर यूपीए सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के लिए जुलाई 2006 में मेजर जनरल (रिटा.) एस. आर. सिन्हो की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया, जिसने वर्ष 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, जिस पर आठ साल बाद अमल हो रहा है। बिहार में जातिवाद के जहर को कम करने के बजाय 2011 में सवर्ण आयोग का ही गठन कर दिया गया। केरल और गुजरात में आर्थिक आधार पर आरक्षण को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और ऐसे अनेक मामलों के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, आरक्षण की सुविधा आर्थिक विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह शोषण और भेदभाव के खिलाफ सांविधानिक सुरक्षा कवच है। न्यायालय के अनुसार, सामाजिक न्याय की व्यवस्था देने के साथ प्रशासन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना जरूरी है, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद-335 में प्रावधान किए गए हैं। मंडल आयोग मामले में न्यायाधीशों ने आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी तक रखने पर जोर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश का कानून माना जाता है, इसके बावजूद हरियाणा में 70, तमिलनाडु में 79, महाराष्ट्र में 68, झारखंड और तेलंगाना मे 60, आंध्र प्रदेश में 55 और राजस्थान में 54 फीसदी आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। नए कानून के बाद केंद्रीय स्तर पर 59.5 फीसदी आरक्षण के प्रावधान से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की राष्ट्रीय अवहेलना के चलन में और बढ़ोतरी होगी। इसके बाद अन्य पिछड़ी जातियों के भीतर अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण की मांग जोर पकड़ सकती है। जातिवाद के बढ़ते चलन में जब अपवाद ही नियम बन जाएं, तो देश की पांच फीसदी अनारक्षित आबादी प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के लिए विदेश पलायन को बाध्य होगी। भारतीय प्रतिभा के लिए स्टार्टअप योजना के साथ समान कानूनी व्यवस्था की भी जरूरत है, जिससे हमें विदेशी निवेश और एफडीआई के लिए अपने ही लोगों के बीच चिरौरी न करनी पड़े।

आरक्षण के प्रस्तावित कानून को अधिकांश दलों का समर्थन मिल जाएगा। एसएसी-एसटी कानून में बदलाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बेवजह गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, जिसे केंद्र सरकार ने कानून से बदल दिया। एससी/एसटी कर्मियों के प्रमोशन में आरक्षण के मामले में भी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पूरी ताकत लगा दी। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधानिक दर्जा दिलाने के लिए संसद में 123वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। साफ है कि कानून निर्माण में भी अब राजनीतिक नफा-नुकसान ही सर्वोपरि है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। संसद में बिल पेश होने से सरकार और विपक्ष के अनेक विरोधाभास उजागर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद सरकार डाटा सुरक्षा के लिए कानून नहीं बना पाई, जिसकी वजह से इंटरनेट कंपनियों के 20 लाख करोड़ रुपये के सालाना कारोबार पर टैक्स वसूली नहीं हो पा रही। डाटा पर भी इसी फुर्ती से यदि कानून बन जाए, तो देश के युवा स्वरोजगार से आत्म निर्भर होकर मैकाले की नौकरी संस्कृति की विकृति से भी मुक्त हो सकेंगे। चुनावी राजनीति के नजरिये से आरक्षण को ब्रह्मास्त्र मानने की गलतफहमी भले ही हो, पर नए कानून को न्यायालय की कसौटी पर सही साबित करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा।

अंतर्ध्वनि

>> ओक्टावियो पॉज

कोई भी आदर्श कला का प्रतिमान नहीं हो सकता

मैं यह मानता रहा हूं कि आदर्श बड़ा हो, तो जरूरी नहीं कि उस आदर्श का दावेदार साहित्य भी बड़ा हो। कला के अपने प्रतिमान हैं। कोई भी आदर्श कला का प्रतिमान नहीं हो सकता। ब्रेख्त की कला का रहस्य साम्यवाद नहीं, बल्कि ब्रेख्त के अंदर का विद्रोही है। स्वभाव व रचना में यह विद्रोह ही लेखक को लेखक बनाता है। विद्रोह अपने अंदर होता है, बाहर से उसे जुटाया नहीं जा सकता। मगर इससे भी बड़ा खतरा तब पैदा होता है, जब प्रतिबद्धता को साहित्य के मूल्यांकन के लिए मानदंड मानने का आग्रह किया जाता है। प्रतिबद्धता हमेशा मनुष्य का मनुष्यता के प्रति, कलाकार का कला के प्रति होगा। संस्थाएं, विचारधाराएं अमूर्त वस्तुएं हैं। और महज विचारधारा की कसमें खाता हुआ, विचारधाराओं की बाइबिलें उठाता हुआ कोई लेखक न मनुष्यता के प्रति जिम्मेदार हो सकता है, न कला के प्रति।

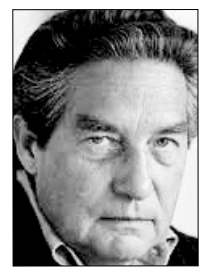

समाज को बदलने के लिए विद्रोही गहरे अर्थों और समग्र व्यक्तित्व की तलाश करता है। सजग व्यक्तित्व के लिए एकमात्र रास्ता रह गया है विरोध और विद्रोह का-राज्य के गलत निर्णयों का विरोध और समाज की खोखली बुनियाद से विद्रोह। इस विद्रोह ने इन समाज व्यस्थाओं के सुख, सुविधा, समृद्धि और अवकाश को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रोशनी का झूठा दावा करने से बेहतर है यह स्वीकार करना कि अंधेरा है। छात्र, या बुद्धिजीवी या कलाकार पैगंबर नहीं हैं। मगर राजनेताओं ने संसार को जिस जहन्नुम में पहुंचा दिया है, उससे वे विद्रोह अवश्य कर सकते हैं। आज हमें एक ऐसी विश्व-सभ्यता की आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक आकांक्षा और कविता के आंतरिक अनुशासन का समन्वय हो। यह संभावना मुझे केवल भारत में नजर आती है।

-मैक्सिको के नोबेलजयी साहित्यकार

मंजिलें और भी हैं

>> शहजोर खान

गरीबों की जरूरत देख बना दी बाइक एंबुलेंस

आंध्र प्रदेश के तिरपन वर्षीय रामुलू अपनी पत्नी के साथ भीख मांगकर जिंदगी काट रहे थे। वे दोनों किसी गंभीर बीमारी के जद में थे। पेट भरने के लाले थे, सो इलाज की तो गुंजाइश ही नहीं थी। एक दिन हैदराबाद के लिंगामपल्ली रेलवे स्टेशन पर ही रामुलू की बीवी ने दम तोड़ दिया। रामुलू अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार शहर से दूर अपने पैतृक गांव में कराना चाहते थे। इसके लिए उन्हें जरूरत थी किसी गाड़ी या एबुंलेंस की। ऑटो या गाड़ी वाले रामुलू से पांच हजार रुपये की मांग कर रहे थे, जबकि उनके पास केवल हजार रुपये थे। गरीबी ने उन्हें वह सुविधा हासिल करने से भले ही रोक दिया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पत्नी के मृत शरीर को ठेले पर लादकर साठ किलोमीटर तक हाथों से खींच कर ले गए। इस कहानी के सामने आने पर कई लोगों ने रामुलू के प्रति संवेदना दिखाई, लेकिन जब उन्हें सच में इसकी जरूरत थी, तब लोगों ने उन्हें दुत्कार दिया था। उनके प्रति सहानुभूति रखने वालों में मैं भी शामिल था।

तमाम अच्छी बातों की तरह बाइक मोडिफिकेशन का हुनर मैंने अपने पिता से सीखा है।

मैं हैदराबाद के नामपल्ली में मोटरसाइकिल का गैराज चलाता हूं। काम के दौरान कई ऐसे मौके आते हैं, जब मुझे लोगों की मांग पर मोटरसाइकिल के आकार में परिवर्तन करना होता है। बाइक मोडिफिकेशन का यह काम मैं काफी वक्त से अंजाम दे रहा हूं। रामुलू की कहानी ने मेरे दिलो-दिमाग पर गहरा असर किया। उनकी बेबसी के बारे में सोच-सोचकर कई दिनों तक मैं बेचैन रहा। चूंकि मैं मोटरसाइकिल को मोडिफाई करने के धंधे में था, इसलिए मेरे दिमाग में तुरंत यही ख्याल आया कि रामुलू की जरूरत के वक्त काश कोई ऐसी एंबुलेंसनुमा बाइक होती, जिनसे उनकी मदद हो पाती। मैंने ठान लिया कि मैं ऐसी ही एक बाइक एंबुलेंस बनाऊंगा। मैंने तत्काल काम शुरू कर दिया और अगले करीब ग्यारह महीनों में एक लाख से ऊपर का खर्च करके बाइक एंबुलेंस तैयार कर डाली। एक साधारण सौ सीसी बाइक के साथ मैंने अतिरिक्त केबिन जोड़कर एंबुलेंस बनाई है। केबिन को मैंने एंबुलेंस में होने वाले सभी जरूरी उपकरणों से लैस किया है। इस एंबुलेंस की मदद से एक वक्त पर एक मरीज को बहुत आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। और जाम जैसी किसी भी स्थिति से निबटने में भी यह एंबुलेंस कारगर है। तमाम अच्छी बातों की तरह बाइक मोडिफिकेशन का हुनर मैंने अपने पिता से सीखा है। बारह साल की उम्र से ही मैंने अपने पिता के साथ गैराज में वक्त बिताया है। वह दिव्यांगों की सुविधा के लिए मोटरसाइकिलों के डिजाइन में कई बदलाव किया करते थे। सहूलियत की कारीगरी में मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। बदकिस्मती से वह अब मेरे साथ नहीं हैं। मेरी बाइक एंबुलेंस की उपयोगिता को देखते हुए कई अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूट वालों ने मुझसे संपर्क करके इसके व्यावसायिक प्रयोग के लिए अनुरोध किया, लेकिन मैंने इसके लिए मना कर दिया। दरअसल मैंने इस एंबुलेंस के व्यावसायिक इस्तेमाल के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं हमेशा इसके माध्यम से गरीबों की मुफ्त मदद करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि इस बाइक को देहाती इलाकों के मेडिकल सेंटरों से जोड़ा जाए, क्योंकि एंबुलेंस की सुविधा से सर्वाधिक वंचित वही लोग होते हैं।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

एशिया में उभरते सामरिक समीकरण

एशिया में सामरिक समीकरण बदलता दिख रहा है। भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि वह तटस्थ रहने की रणनीति न अपनाए और उभरते सामरिक समीकरण के बदलते कारकों के बीच भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी को संदर्भ दे।

पारस रत्न

भारत और जापान, दोनों हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए कई मोर्चों पर दोनों देशों के बीच सहयोग जरूरी है। जापान और भारत के बीच रिश्तों में हाल के वर्षों में काफी विस्तार हुआ है। सामरिक क्षेत्र के अलावा जापान भारत का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक निवेशक है। वर्ष 2000 से 2017 के बीच जापान ने भारत में बुनियादी ढांचे, खुदरा, वस्त्र, और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में 25.6 अरब डॉलर का निवेश किया है। गौरतलब है कि पिछले चार वर्षों में दोनों देशों की आधिकरिक यात्रा संख्या और गुणवत्ता, दोनों के लिहाज से बेहतर और मजबूत बनाने के प्रयास किए गए हैं। कहा जाता है राष्ट्रों के व्यक्तिगत संबंध और यह तथ्य कि दोनों प्रधानमंत्रियों के समान दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रदर्शन ने उन्हें एक साथ लाया है।

बदलते मगर अस्थिर वैश्विक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में अक्तूबर में हुए तेरहवें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते की गतिशीलता पर प्रकाश डालती है। तेरहवें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मोदी की यह यात्रा भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि यह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अबे के बीच अप्रत्याशित बैठक के बाद हुई थी। चीन और जापान के रिश्ते आम तौर पर तनावपूर्ण रहते हैं। दशकों से जारी भावनात्मक कटुता के अलावा पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू/दियाओयू द्वीप पर चीन और जापान के बीच लगातार मतभेद जारी हैं। जापान-चीन रिश्ते की 40वीं सालगिरह पर अबे की चीन यात्रा में प्रदर्शित खुशमिजाजी इस तनाव को टालती प्रतीत हुई। अबे की चीन यात्रा के दौरान कई उल्लेखनीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें थाईलैंड में संयुक्त रेल परियोजना और ट्रंप प्रशासन द्वारा संरक्षणवादी नीति की हवा निकालने के लिए 27 अरब डॉलर का करंसी स्वैप समझौता शामिल हैं। वाशिंगटन द्वारा अपने घरेलू उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने की नीति ने इस सामरिक पुनर्गठन को प्रेरित किया है। भारत के लिए ध्यान देने लायक जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह कि जो अबे पहले बेल्ट ऐंड इनीशिएटिव रोड (बीआरआई) का विरोध कर रहे थे, उन्होंने एक संतुलित कदम उठाया है। चीन-जापान का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2017 में 300 अरब डॉलर हो गया, जो 2016 के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा है।

जापान और चीन के बीच बढ़ती इस घनिष्ठता के कई कारक हैं। जापान को चीन के बाजार में पहुंच बनाने की आवश्यकता है। खुद अबे ने कहा कि चीन जापान के लिए अपरिहार्य है। जबकि चीन, जिसकी महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजना पारदर्शिता के मुद्दे पर विरोध और बाधाओं का सामना कर रही है और जिसकी लगातार आने वाली सरकारों द्वारा समीक्षा की जा रही है, जापान के साथ साझेदारी करके अपनी छवि को बेहतर बनाना चाहता है। अमेरिका के साथ व्यापार करने में चीन की अर्थव्यवस्था और मुद्रा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वह अन्य क्षेत्रीय ताकतों के साथ साझेदारी करना चाह रहा है।

इस तरह से एशिया में सामरिक समीकरण बदलता दिख रहा है और भू-राजनीतिक सीमांकन धुंधला रहा है। इस परिदृश्य में भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि वह तटस्थ रहने की रणनीति न अपनाए और उभरते सामरिक समीकरण के बदलते कारकों के बीच भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी को संदर्भ दे।

-लेखक विजन इंडिया फाउंडेशन में रणनीतिक मामलों के एसोसिएट मैनेजर हैं।

हरियाली और रास्ता

रॉबर्ट और उसकी असल बीमारी

अकेलेपन से पीड़ित एक व्यक्ति की कथा, जिसे एक छोटे-से बच्चे ने जीना सिखा दिया।

पिछले कुछ दिनों से रॉबर्ट दिन-रात काम में लगा हुआ था। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने कब छुट्टी ली थी। एक दिन घर लौटते वक्त उसे कुछ सेकंडों के लिए झपकी लग गई और उसकी गाड़ी सीधे एक पेड़ से जा टकराई। आंख खुली तो वह अस्पताल में था। रॉबर्ट का कोई खास दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। इसकी एक वजह यह भी थी कि वह किसी को अपने करीब आने ही नहीं देता था। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे कुछ दिन रुकने को कहा। रॉबर्ट एकांत में रहना चाहता था। डॉक्टर ने उसे एक प्राइवेट वॉर्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसके वॉर्ड के बाहर मरीजों का तांता लगा रहता था। कमरे का दरवाजा जरा भी खुला रह जाए, तो अंदर बहुत शोर आता था। रॉबर्ट इस बात से बहुत चिढ़ जाता था। एक दिन रॉबर्ट के कमरे में एक आठ साल का बच्चा दौड़ता हुआ आ गया। उसके दाएं हाथ में कंधे से लेकर उंगलियों तक प्लास्टर हो रखा था। रॉबर्ट उसे देखकर चिल्लाया, ऐ लड़के, हट यहां से। और यह दरवाजा बंद कर दे। वह लड़का रॉबर्ट को देखकर मुस्कराया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। रॉबर्ट का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन लड़का उतनी ही खुशी के साथ उसके बिस्तर के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, अंकल, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लड़के ने अपने बाएं हाथ के टेडी बियर को आगे करते हुए कहा, यह मेरा दोस्त है जॉनी। यह भी बीमार है। देखो, इसकी एक आंख खराब हो गई है। मुझे तो मां अस्पताल में रुकने नहीं देगी। क्या यह आपके साथ रुककर अपना इलाज करवा सकता है? रॉबर्ट उस लड़के की मासूमियत देखकर मुस्कराया और बोला, आप बिल्कुल चिंता न करें मेरे दोस्त। मै जॉनी का ख्याल रखूंगा। वह छोटा-सा लड़का रॉबर्ट को उसकी असल बीमारी 'अकेलेपन' से वाकिफ करा गया।

जिंदगी हर मोड़ पर, हर रूप में हमें कुछ न कुछ सिखाती है।

खुली खिड़की

असली 'फोर-जी'

भारत में चौथी पीढ़ी के इंटरनेट का जाल बिछने के बावजूद इंटरनेट गति वांछित स्तर को नहीं छू सकी है। वहीं दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां भारत से कई गुना तेज वायरलेस इंटरनेट सेवाएं मौजूद हैं।

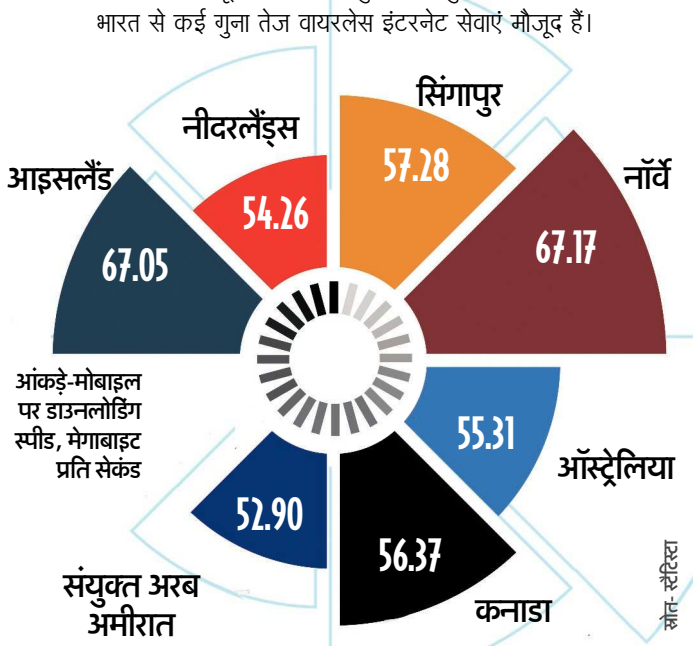

सत्संग

सीख के उपहार

प्राचीन मिथिला देश में नरहन राज्य का बड़ा महत्व था। वहां का राजा बड़ा उदार और विद्वान था। वह अपनी प्रजा के प्रति सदैव वात्सल्य भाव रखता था। किंतु उसकी राजधानी में एक गरीब आदमी था, जो हर घड़ी राजा की आलोचना किया करता। राजा को इस बात की जानकरी थी, पर वह इस आलोचना के प्रति उपेक्षा भाव ही रखते। एक दिन राजा ने इस बारे में गंभीरता से सोचा। फिर अपने सेवक को 'गेहूं के आटे के बडे मटके', 'वस्त्र धोने का क्षार', 'गुड़ की ढेलियां' बैलगाड़ी पर लाद कर उसके यहां भेजा। राजा से उपहार में इन वस्तुओं को पाकर वह आदमी गर्व से फूल उठा। हो न हो, राजा ने ये वस्तुएं उससे डर कर भेजी हैं। यह सोचकर वह अभिमान के साथ राजगुरु के पास पहुंचा। सारी बात बताकर बोला, गुरुदेव! आप मुझसे हमेशा चुप रहने को कहा करते थे। यह देखिए, राजा मुझसे डरता है। राजगुरु बोले, बलिहारी है तुम्हारी समझ की! अरे! राजा को अपने अपयश का डर नहीं है, उसे मात्र यह चिंता है कि तुम्हारी आलोचनाओं पर विश्वास करके कोई अभिलाषी याचना से ही वंचित न रह जाए। राजा ने इन उपहारों द्वारा तुम्हे सार्थक सीख देने का प्रयास किया है। वह यह कि हर समय मात्र निंदा में ही रत न रहो, संतुष्ट रहो, शुभ-चिंतन करो और मधुर संभाषण भी कर लिया करो। आटे के यह मटके तुम्हारे पेट पुष्टि के साथ तुम्हारे संतुष्ट भाव के लिए हैं, क्षार तुम्हारे वस्त्रों के मैल दूर करने के साथ ही मन का मैल दूर करने के लिए है और गुड़ की ये ढेलियां तुम्हारी कड़वी जुबान को मीठी बनाने के लिए है।

-संकलित